बस यात्रियों को कंटेनर ने रौंदा, छह मरे

मथुरा के यमुना एक्सप्रेस-वे भीषण हादसा

मथुरा 7 फरवरी. उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के सुरीर थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस-वे पर शनिवार तड़के एक सड़क हादसे में छह यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में माइल स्टोन 88 के पास सुबह करीब पौने तीन बजे यह हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली के नांगलोई से कानपुर के रसूलाबाद जा रही एक निजी बस यमुना एक्सप्रेस-वे से गुजर रही थी. रास्ते में कुछ यात्रियों ने लघुशंका के लिए चालक से बस रोकने का अनुरोध किया. बताया जा रहा है कि चालक ने निर्धारित ग्रीन जोन में बस न रोककर सड़क किनारे ही बस खड़ी कर दी. इसके बाद कई यात्री बस से उतरकर नीचे खड़े हो गए. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक कंटेनर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद कंटेनर ने बस के पास खड़े यात्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

कार पलटी, दो उपनिरीक्षक समेत 4 लोग घायल

सुलतानपुर. उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर 97 पर शनिवार सुबह एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना में गाजियाबाद में तैनात दो उपनिरीक्षक, एक अभियुक्त तथा चालक घायल हो गए.

आज का इतिहास

1872-अंडमान जेल (सेल्यूलर जेल या कालापानी) में शेर अली ने गवर्नर पर हमला करके शहादत प्राप्त की।

1897-भारत के तीसरे राष्ट्रपति ड़ा जाकिर हुसैन का जन्म।

1905-हैती और उसके आस पास के द्वीप समूहों पर आये जबरदस्त चक्रवाती तूफान से दस हजार लोगों की मौत।

1909-यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी के बीच मोरक्को संधि पर हस्ताक्षर किये गये।

ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की हड़ताल

नई दिल्ली. देशभर में शनिवार को ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े लाखों ड्राइवर हड़ताल पर हैं. ओला, उबर, रैपिडो और पोर्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स से जुड़े गिग वर्कर्स घटती कमाई, बढ़ते शोषण और न्यूनतम किराया तय न किए जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं. यूनियनों का दावा है कि सरकार की निष्क्रियता का फायदा उठाकर कंपनियां मनमानी कर रही हैं.

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट एवं नोंदणीकृत कार्यालय यूनिट क्र.८०१, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कालीना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई ४०००९८.
CIN No. U65922MH2016PLC273826

शुद्धीपत्रक

कृपया **दिनांक ०७.०२.२०२६** को **शुद्धिपत्रक** के शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित सूचना का संदर्भ लें. इस सूचना में उधारकर्ता का नाम **विद्या बाई चमार (स्वर्गीय मगीलाल चमार की कानूनी उत्तराधिकारी)** का सही नाम पढ़ें. अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी.

हस्ता/-, प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय, नगरपालिका परिषद इटारसी

क्रं./लोक कर्म शाखा/2026/2249 — इटारसी दि. 06.02.2026

ई निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है. निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं	टेण्डर पोर्टल क्रं	कार्य का नाम	कार्य की लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2026_UAD_480761_1	शहर इटारसी में मुख्यमंत्री मॉनिट ए नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत विभिन्न सीसी निर्माण कार्य (कार्यों की सूची संलग्न) (द्वितीय आमंत्रण)	3,37,11,358/-	1,68,560/- 15,000/-	21.02.2026 17.30

नोट - निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा. पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा.

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद इटारसी

कार्यालय मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे)

सनावद, जिला खरगोन (म. प्र.)

निविदा सूचना क्र. /सामान्य./2025-26/13 — सनावद, दिनांक : 03.02.2026

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

(प्रथम आमंत्रण)

ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये आनलाईन निविदायें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है: -

स. क्र.	नि. आ. सू. क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत यू. एस. आर. 15.07.2024 के आधार पर (रू. लाख में)	धरोहर की राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में)	ठेकेदारों की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1		एम-केड स्कीम के अंतर्गत नेतनगांव क्लस्टर के 2504 हेक्टेयर क्षेत्र मे सुक्ष्म दबावयुक्त पाईपलाईन बिछाने का कार्य	Rs. 4590.81 लाख	Rs. 50.00 लाख	Rs. 50,000.00	लोक निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत नवीन कोई भी श्रेणी।	दिनांक 30/09/2026 (वर्षाकाल सहित)

1. निविदा कार्य के प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि — दिनांक 18.02.2026, 17:30 तक
2. धरोहर राशि एवं पूर्व अर्हता दस्तावेज वेब साईट पर खोलने की अनुमानित तिथि — दिनांक 20.02.2025, 10:30 से
3. मूल्य निविदा खोलने की अनुमानित तिथि — दिनांक 25.02.2026, 10:30 से

निविदा प्रपत्र केवल उपरोक्त वेबसाईट से निविदा मूल्य डेबिट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर क्रय किये जा सकते है। निविदा की विस्तृत जानकारी एवं संशोधन के लिये वेबसाईट www.mptenders.gov.inका अवलोकन करें।

मुख्य अभियंता,
इंदिरा सागर परियोजना (नहरे),
सनावद, जिला - खरगोन (म. प्र.)

G25450/25

कार्यालय- सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)

पत्र क्रमांक- 44/री-1/भू-अर्जन/2026, धरमपुरी, जिला- धार (म. प्र.) — धरमपुरी, दिनांक 13/01/2026

रा.प्र.क्र. - 0108/बी-121/2025-26

:: अधिसूचना ::

प्ररुप - 'ख'

नियम - 5 का उपनियम (2)

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि धार माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली राईजिंगमेन पाईप नहर कमाक-- 02 A एवं 02 B के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - अब्दुलपुर, प.ह. नं. - 02, रा. नि. वृत्त - 01, धरमपुरी, तहसील - धरमपुरी, जिला - धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक - 30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डकट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धरमपुरी, जिला - धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धरमपुरी	ग्राम -अब्दुलपुर, प.ह.नं.-02,	उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-	
			42/2	0.025
			47/2/2	0.006
				0.023
			47/1/2	0.032
				0.007
		कुल योग निजी भूमि	03	0.093
जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
धार	धरमपुरी	ग्राम -अब्दुलपुर, प.ह.नं.-02,	उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-	
			43	0.004
				0.003
			47/2/1	0.049
				0.053
			47/1/1	0.019
				0.048
			39	0.004
				0.005
			38/1/1	0.020
				0.022
			49	0.002
				0.002
			53	0.016
				0.016
		कुल योग शासकीय भूमि	07	0.263
		कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)	10	0.356

(प्रमोद सिंह गुर्जर)
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
धरमपुरी, जिला - धार (म.प्र.)

G25480/25

भारतीय तटरक्षक बल ने अंतरर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया

नई दिल्ली, 07 फरवरी. भारतीय तटरक्षक बल ने एक सुनियोजित समुद्री-हवाई समन्वित अभियान के जरिए अंतरर्राष्ट्रीय तेल तस्करी गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि गुरुवार और शुक्रवार को चलाये गये इस अभियान से संघर्षरत क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले भारी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध कारोबार में शामिल एक जटिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है. मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार को मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने तीन संदिग्ध जहाजों को रोका. आईसीजी की विशेषज्ञ बोर्डिंग टीमें जहाजों की लगातार तलाशी, जहाज पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि, दस्तावेजों का सत्यापन और चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ के द्वारा घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने और आपराधिक कार्यप्रणाली की पुष्टि कर पाई. तस्करी करने वाले गिरोह ने एक ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जिसमें सस्ते तेल को समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जाता था.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंधी कॉलोनी-इंदौर (42210) ब्रांच,
पता: सिंधी कॉलोनी-इंदौर (42210), इंदौर, म.प्र. - 452001
संपर्क नंबर: 8928445890 **ईमेल आईडी:** ubin0542211@unionbankofindia.bank.in

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

प्रति,
ऋणी/यों :
मेसर्स शिवाय क्रियेशन प्रो. श्रीमती सोनी राधवानी
135, एमटी क्लॉथ मार्केट, गोवर्धन चौक के पास, इंदौर म.प्र. - 452001
श्रीमती सोनी राधवानी
पता: फ्लेट नंबर 103, आशियाना अपार्टमेंट 1 गुरुनानक कॉलोनी, इंदौर म.प्र. - 452007

प्रिय महोदय/महोदया,

सिधी कॉलोनी इन्दौर (42210) शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत आपको जारी सूचना दिनांक **17/01/2026** को आपको आपके ऋण खाते की बकाया राशि चुकाने के लिए कहा गया था जिसे हमारे पास आपके अंतिम ज्ञात पते पर तामिल नहीं किया जा सका। अतः उक्त मांग सूचना की सामग्री इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।

आपके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ऋण सुविधाओं को **11/01/2026** को एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

आपने सुविधाओं का लाभ उठाते हुए ऋण दस्तावेजों को निष्पादित किया है और बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित बनाया है। ऋण सुविधाओं और सुरक्षित संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

सुविधा का प्रकार	एनपीए की अर्थात दिनांक 11.01.2026 तक बकाया राशि	अप्रयुक्त ब्याज प्रभावी राशि 11-01-2026 तक	दंड ब्याज (साधारण)	बैंक द्वारा वहन की गई लागत/ प्रभार	कुल बकाया राशि
UNION NARI SHAKTI	20,31,086.93	3,697.00		0.00	20,34,783.93
कुल बकाया					20,34,783.93

दिनांक **11-01-2026** को बकाया राशि के साथ प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं कुल बकाया राशि **रु. Rs.20,34,783.93 (रु. बीस लाख चौतीस हज़ार सात सौ त्रियासी रुपये एवं त्रियान्वे पैसे मात्र)** जो कि सुरक्षित है

निम्न वर्णित दृष्टिबंधक गिरवी चल संपत्ति:

बंधक स्टॉक का दृष्टिबंधक- सभी प्रकार के टेक्सटाइल (महिलाओं के) गारमेंट्स एवं कपड़ों का ऐसेसिरिज

इसलिए, आप, नंबर 1, ऋणकर्ताओं एवं आप, नंबर 2, जमानतदारों के रुप में उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में इस प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों** के भीतर **रु. 20,34,783.93 (रु. बीस लाख चौतीस हज़ार सात सौ त्रियासी रुपये एवं त्रियान्वे पैसे मात्र)** साथ में भविष्य के ब्याज एवं शुल्क का भुगतान करने के लिए मांग करते है।

इसका पालन करने में आपकी विफलता पर हम, सुरक्षित लेनदार, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के हकदार होंगे। अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार यह नोटिस प्राप्त होने के पश्चात बैंक की पूर्व सहमति के बिना आप संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं कर सकते। कृपया सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों पर ध्यान दें।

कृपया ध्यान दें कि इस वर्तमान मांग सूचना के जारी होने पर सरफेसीय 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी किया गये हमारे सभी पिछली सूचना(ए) वापस ले ली गई है।

स्थान : इंदौर — **आपका हितैषी**
दिनांक : 17/01/2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN L65110TN2014PLC097792,
पंजीकृत कार्यालय: - केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड,
चेटपेट, चेन्नई-600031. टेलीफोन: +91 44 4564 4000 फैक्स: +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जे का नोटिस
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और गारंटीकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे संलग्न मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया है।

ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

ऋण खाता संख्या	खाता सह-उधारकर्ता/ओं का नंबर और गारंटर नाम	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक	मांग नोटिस बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि और प्रकार
54965828	1. मनोहर बलराम, 2. श्यामू बाई सेन	अचल मकान की वह पूरी संपत्ति सर्वेक्षण में स्थित 2520 वर्ग फुट, यानी 234.20 वर्ग मीटर ग्राम नानाधरा खेड़ी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, पीएच नं. 48, मध्य प्रदेश- 455115 में स्थित है, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री नागजीराम की भूमि, पश्चिम: स्वयं की भूमि, उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: सड़क	30.03.2024	रू. 4,61,170.90/-	05.02.2026 भौतिक कब्जा
59023592	1. कालू सिंह, 2. पेपकुंवर गुर्जर	सर्वे संख्या 419, पीएच नं. 48 में स्थित, 21 फीट X 25 फीट = 525 वर्ग फीट (अर्थात 48.79 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली वह पूरी संपत्ति, जो सरसोदा तहसील, सोनकच्छ, जिला देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में रास्ता, पश्चिम में श्री मोहनसिंह की संपत्ति, उत्तर में श्री बाबूलाल की संपत्ति, दक्षिण में श्री लक्ष्मणसिंह की संपत्ति।	30.04.2024	रू. 2,77,277.57/-	05.02.2026 भौतिक कब्जा
79057354	1. करण सिंह 2. बाबूलाल देवजी	सर्वे संख्या 154 में स्थित मकान की वह पूरी संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 30 फीट X 50 फीट = 1500 वर्ग फीट यानी 139.40 वर्ग मीटर है, ग्राम शिखेड़ी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (मध्य प्रदेश), पीएच नं. 43 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: रास्ता, पश्चिम: श्री बाबूलाल की संपत्ति, उत्तर: श्री हुकुमसिंह की संपत्ति, दक्षिण: रास्ता।	14.08.2024	रू. 4,61,703.75/-	05.02.2026 भौतिक कब्जा

ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में विलय) द्वारा मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक ब्याज और अन्य शुल्कों के अधीन होगा।

अधिकृत अधिकारी
दिनांक: 05.02.2026 — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड**
स्थान: मध्य प्रदेश — **(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)**

रूस से तेल खरीद पर भारत का रुख कायम

नई दिल्ली. अमेरिका के बार-बार किये जा रहे इन दावों कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा के बीच भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि देशवासियों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बाजार परिस्थितियों तथा बदलते अंतरर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को ध्यान में रखकर ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाना उसकी रणनीति का हिस्सा है. सरकार इस मामले में हां या नहीं के रूप में जवाब देने से बचती रही है. रूस से तेल खरीदने के मामले में वाणिज्य मंत्रालय सवालों को विदेश मंत्रालय के पाले में डाल देता है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को इस सवाल के जवाब में कहा कि इसका उत्तर विदेश मंत्रालय देगा. मीडिया की ओर से बार-बार यह सवाल पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बार फिर गुरुवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में इस सवाल के जवाब में दिये गये वक्तव्य को ज्यों की त्यों दोहरा दिया.

यूको बैंक UCO BANK

(A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)
फोन: 0731-2438331
email: zoindore.rec@uco.bank.in

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी दिनांक 13.03.2026

(सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत)
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अर्न्तगत
सम्पत्ति के विक्रय की सार्वजनिक सूचना ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 13.03.2026 को दोपहर 1 बजे तक या उसके पूर्व अचल सम्पत्ति की बिक्री जो बैंक के पास बंधक है
सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002

जबकि **युको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा धारा 13 (2) व सिक्युरिटायजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल इंटरेस्ट एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट नियम 2002 के अन्तर्गत सांकेतिक/भौतिक कब्जा ले लिया है। बैंक कि बकाया राशि ब्याज सहित हेतु निम्न सम्पत्तियों को **जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधन** के आधार पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। ऋणी द्वारा बैंक का बकाया मय ब्याज के चूकाने मे असफल होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सरफेसी अधिनियम 13 (4) के अर्न्तगत सम्पत्ति की ई-नीलामी वेबसाइट द्वारा की जानी है।

क्रं.	शाखा	ऋणियों के नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिपत्य दिनांक	स्वायत शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य यथा / बयाना राशि	ईएमडी खाता क्रं., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	नानाखेड़ा शाखा, उज्जैन	श्री आतिश कुमार शर्मा पिता मनोहर लाल शर्मा एवं मधु शर्मा पति आतिश कुमार शर्मा	30,37,379.99 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	15.10.25 / 08.01.26	पता नहीं	मकान नं. 17, ब्लॉक-ए, तिरुपती सॉलिटेर, ग्राम पंड्याखेड़ी, उज्जैन तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) 456010, **क्षेत्रफल: 831.60 वर्गफीट, संपत्ति स्वामीगण: श्री आतिश कुमार शर्मा पिता मनोहर लाल शर्मा एवं मधु शर्मा पति आतिश कुमार शर्मा,** पंजीकृत विक्रय पत्र नं. MP432022023A12133264, दिनांक 13.07.2023 उप-पंजीयक कार्यालय उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.) 456010, **चर्तु:सीमा: उत्तर:** प्लाट नं. 16, **दक्षिण:** प्लाट नं. 18, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** अन्य भूमि	रु. 43.65 लाख / रु. 4,36,500	22830210001462 आनंद बाजार, इंदौर UCBA0002283	13.03.2026 1.00 से 5.00 बजे तक (असीमित विस्तार के साथ उपरोक्तानुसार)

आनलाईन निविदा/नीलामी की नियम व शर्तें: (1) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें (बोली जमा करने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए और ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी)। **(2)** इच्छुक बोलीदाता के पास एक स्वयं की वैध सक्रिय ई-मेल आईडी और पैन होना चाहिए। **(3)** अपसेट प्राईस/रिजर्व प्राईस की 10% (ईएमडी राशि) राशि सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बनाये गये वर्चुअल वॉलेट में भेजी जाना चाहिये और बकाया राशि निविदा फार्म मे स्पष्ट रुप से दर्शाई जाना चाहिए। **(4)** अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण अधिकार है की वह बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कोई कारण बताएं किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या स्थगित/रद्द करने का बिक्री की किसी भी नियम व शर्तों को बढ़ाने/संशोधित करने का अधिकार है। **(5)** बिक्री सरफेसी संशोधित अधिनियम/नियम 2002 और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अधीन है। **(6)** बैंक द्वारा निविदा प्रस्ताव स्वीकार्य करने के उपरांत 25% प्रतिशत राशि (प्राथमिक राशि ईमएडी सहित) उसी दिन या अगले कार्यदिवस तक बैंक के **खाता संख्या 22830210001462, यूको बैंक, आनंद बाज़ार शाखा, आईएफएससी कोड UCBA0002283** के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/मनी ट्रांन्सफर द्वारा जमा करनी होगी। **(7)** सफल बोलीकर्ता को अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने के 15 दिनो के भीतर बिड की बकाया राशि जमा कराना होगी यदि सफल बोलीकर्ता अपनी बकाया राशि उस अवधि के भीतर जमा करने में विफल होता है तो उस परिस्थिति में सम्पत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा कि गई राशि जब्त कर ली जावेगी। इसके अतिरिक्त उसे सम्पत्ति पर या उस सम्पत्ति पर दावा करने का कोई अधिकार नही होगा जिसे फिर से बेची गई है। **(8)** सम्पत्ति का निरीक्षण पूर्व अनुमति लेकर **दिनांक 11.03.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सांयकाल 4.00 बजे** के बीच किया जा सकता है। सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य जानकारी या विवरण के लिए **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 0731-2438331** से संपर्क किया जा सकता है। **(9)** यदि बिक्री 30 (तीस) दीनों की अवधि के लिये स्थगित की जाती है तो बिक्री की कोई नई शर्तें नहीं होगी। **(10)** बोलीकर्ता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व सेवा प्रदाता के पोर्टल/वेबसाइट (अर्थात, **https://baanknet.com**) पर जाने की सलाह दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व सभी बोलीकर्ताओं को बिक्री के नियम व शर्तों को ठीक तरह से पढ़ने व समझने की सलाह दी जाती है। नीलामी सुरक्षित लेनदार बैंक की पुष्टि के अधिन है। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 08.02.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**